न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 19/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन–भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री हुकमचन्द अग्रवाल उम्र 30 वर्ष जाति वैश्य–एफबीओ व मौके पर विक्रेता–फर्म–गोयल किराना एण्ड जनरल स्टोर, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड, रीको रोड भरतपुर निवासी गिर्राज कालौनी भरतपुर।
2. किशोर कुमार पुत्र श्री हुकमचन्द अग्रवाल जाति वैश्य–एफबीओ व मालिक–फर्म–गोयल किराना एण्ड जनरल स्टोर, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड, रीको रोड भरतपुर निवासी गिर्राज कालौनी भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 26.02.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलान दिनांक 21.03.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 2 दिनांक 14.08.2019 को न्यायालय हाजा में उपस्थिति हुये थे उसके बाद से अनुपस्थित है। गैरसायल संख्या 1 भूपेन्द्र कुमार को इस न्यायालय से जारी नोटिस क्रमांक 387 दिनांक 05.07.2019 स्वयं प्राप्त किया है। गैरसायल संख्या 1 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित है। इस्तगासा की नकल नोटिस

के साथ गैरसायल को भेजी गई। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा में संक्षिप्त अंकित यह है कि दिनांक 25.04.2017 को दोपहर 12.30 बजे गैरसायलान की फर्म गोयल किराना एण्ड जनरल स्टोर, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त फर्म– गोयल किराना एण्ड जनरल स्टोर पर धनिया पाउण्डर (बॉस ब्राण्ड) 250 ग्राम पैक के 20 पैकेट दुकान में रखे हुये थे, जिसका विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था, जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर धनिया पाउडर (बॉस ब्राण्ड) के 8 पैकिट 280/–रूपये में क्रय किये गये तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन–भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./337/एक्ट/2017/358 दिनांक 05.05.2017 द्वारा उक्त धनिया पाउडर (बॉस ब्राण्ड) का नमूना Contravention to the regulation No. 1.2.1(1) & 2.2.2 of Fs&s (Packaging & Labelling) Regulation 2011 प्रकृति का पाया गया है।

गैरसायलान के नोटिस गैरसायलान के द्वारा प्राप्त करने के बाबजूद भी वह जानबूझ कर इस प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। गैरसायलान के उपस्थित नहीं होने के कारण गैरसायलान पर निर्धारित किये गये आरोप गैरसायल को स्वीकार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 25.04.2017 को गैरसायलान की फर्म गोयल किराना एण्ड जनरल स्टोर एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित धनिया पाउडर (बॉस ब्राण्ड) का नमूना लिया गया, जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2017 द्वारा नमूना Contravention to the regulation No. 1.2.1(1) &

2.2.2 of Fs&s (Packaging & Labelling) Regulation 2011 प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल ने Contravention to the regulation No. 1.2.1(1) & 2.2.2 of Fs&s (Packaging & Labelling) Regulation 2011 प्रकृति की खाद्य वस्तु धनिया (बॉस ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन है। गैरसायलान उक्त अनियमितता के लिये दोषी है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायलान को 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान से अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर